सं. 21034/11/2019-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 04.10.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए हिंदी भाषा कार्यशालाओं का आयोजन - प्रति सत्र पारिश्रमिक की राशि में वृद्धि ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

(क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए रू.750/- (रूपये सात सौ पचास मात्र) का पारिश्रमिक देय होगा । किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक के रूप में देय राशि रू. 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी ।

(ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों से भिन्न अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए रू.1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र) (अधिकतम 30 दिनों या 60 कक्षाओं तक के लिए) का पारिश्रमिक देय होगा । रू. 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) प्रति वर्ष के देय पारिश्रमिक की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी ।

(ग) स्थानीय अतिथि वक्ताओं को प्रशिक्षण में कक्षाएं लेने के लिए आवास से कार्यालय तथा वापसी का किराया भाड़े का भुगतान स्व प्रमाणन के आधार पर वास्तविक टैक्सी किराया सरकार द्वारा अधिसूचित दर के आधार पर देय होगा जो कि अधिकतम रू.750/. (रूपये सात सौ पचास मात्र) देय होगा ।

2. यह कार्यालय ज्ञापन गृह मंत्रालय के वित्त प्रभाग की दिनांक 26.08.2021 की डायरी सं. 3531705, कार्यालय एएस एंड एफए(एच) द्वारा दी गई उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

4/10/21

(आनंद कुमार)

निदेशक (प्रशि.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. कैंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा प्रीक्षक, नई दिल्ली ।
6. आंतरिक वित्त (गृह)-II, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. निदेशक, कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।

11.10.21